

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/4857/

जबलपुर, दिनांक 17/08/2021

श्रीमती साधना कुशवाहा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 17.04.2021 से 24.07.2021 तक 99 दिन का संतान पालन अवकाश स्वीकृत एवं रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/4231 दिनांक 29.07.2021 के द्वारा रोके गये वेतन का भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है साथ ही चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में कार्यालय में अनाधिकृत अनुपस्थित न रहे एवं बिना अवकाश स्वीकृति के संतान पालन अवकाश का उपभोग न करे अन्यथा आपके विरुद्ध कठोर दण्डनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

सही / -
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक B/4858/

जबलपुर, दिनांक 17/08/2021

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. सहायक सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्रीमती साधना कुशवाहा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)